न्यायालय जिला कलक्टर, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी–नथमल डिडेल आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः–20/2020 विविध पी.डी.आर. एक्ट

अधिशाषी अभियन्ता, गंगनहर ओएफडी खण्ड–6 सिं.क्षे.वि., सूरतगढ़।

––प्रार्थी

बनाम

मैसर्स ज्योति इन्टरप्राईजेज (प्रो. नरेन्द्र वधवा) पता–वार्ड नं. 08, अण्डर ब्रिज गली, हनुमानगढ़ जंक्शन, तहसील व जिला हनुमानगढ़ जरिये

––अप्रार्थी

उपस्थितः–1. श्री अजय कुमार अधिशाषी अभियन्ता– स्टेट की ओर से।
2. श्री मोहन मुंजाल, एडवोकेट–अप्रार्थी।

निर्णय दिनांकः– 12.10.2022

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण के संक्षिप्त रूप से तथ्य इस प्रकार से है कि चक 1 NHR-A के पक्के खाले का निर्माण कार्य अधीक्षण अभियन्ता नाचना वृत सि.क्षै.वि.इ.गा. बीकानेर के कार्यालय में नेगोशियेन दिनांक 04.03.2006 में प्रस्तुत दिनांक 04.03.2006 के पश्चात अधिशाषी अभियन्ता, सिंचित क्षेत्र विकास, एसएनआईपी, खण्ड–द्वितीय, इगानप., साहवा (जिला चूरू) के आदेश क्रमांक चक 1 एन.एच.आर. –ए/1291–1307 दिनांक 06.03.2006 के द्वारा मैसर्स ज्योति ईन्टर प्राईजेज वार्ड नं. 06, मकान नं. 553 सेक्टर–12, हनुमानगढ़ जंक्शन को कार्यादेश जारी किये गये। इस हेतु अनुबन्ध सं. 30 वर्ष 2005–06 विभाग एवं फर्म के मध्य निष्पादित किया गया जो 9.99 प्रतिशत अबोव बी.एस.आर. किया गया। उक्त कार्यादेश में 'जी' सूची अनुसार उक्त कार्य की लागत राशि 23,70,535/– व निविदित दर अनुसार राशि रूपये 26,07,351/– थी। अधिशाषी अभियन्ता, सिंचित क्षेत्र विकास, एसएनआईपी, खण्ड–द्वितीय, इगानप., साहवा (जिला चूरू) द्वारा ज्योति इन्टर प्राईजेज को निर्देशित किया गया की आप सहायक अभियन्ता, सिंचित क्षेत्र विकास, एसएनआईपी, उपखण्ड–6, इगानप., साहवा, जिला चूरू के निर्देशन में निर्धारित विभागीय मानदण्डों के अनुसार कार्य प्रारम्भ करें। अनुबन्ध के अनुसार कार्य प्रारम्भ करने तिथि 16.03.2006 एवं पूर्ण करने की तिथि 15.12.2006 निर्धारित थी। कार्य आदेश के अनुसार कार्य की कुल लागत 26,07,351 रूपये थी जिसके विरूद्ध फर्म द्वारा 15,85,119 रूपये का कार्य करने के पश्चात कार्य को अधुरा छोड़ दिया था। तमाम प्रयासों के पश्चात भी फर्म द्वारा कार्य प्रारम्भ नहीं करने के फलस्वरूप अनुबन्ध की धारा 2&3 IV(C) के तहत कार्यवाही करते हुए कार्य फर्म की (रिस्क एण्ड कॉस्ट) पर अधिशाषी अभियन्ता, एसएनआईपी, खण्ड–द्वितीय, सिंचित क्षेत्र विकास, इगानप., नोहर के पत्रांक 935–39 दिनांक 11.09.2009 से अनुबन्ध लुप्त (Rescind) किया गया। इसके पश्चात पुनः निविदा सं. 02 वर्ष 2009–10 आमन्त्रित कर फर्म की (रिस्क एण्ड कॉस्ट) पर शेष कार्य (Balance work) को पूर्ण करवा दिया गया। उक्त प्रकरण अधिशाषी अभियन्ता, गंगनहर ओ.एफ.डी., खण्ड–6 सिंचित क्षेत्र विकास, सूरतगढ़ से पी.डी.आर. एक्ट 1952 के तहत राजकीय राशि की वसूली करवाने हेतु प्राप्त होने पर राजस्व लेखा शाखा अनुभाग, कलैक्ट्रेट हनुमानगढ़ द्वारा सम्बन्धित फर्म को वसूली हेतु नोटिस धारा 6 मय प्रमाण पत्र प्रपत्र–2 जारी किया गया। सम्बन्धित फर्म ने प्रार्थना पत्र पेश कर जवाब प्रस्तुत करने हेतु 30 दिन का समय चाहा गया तत्पश्चात दिनांक 23.11.2020 को अप्रार्थी फर्म द्वारा याचिका अन्तर्गत धारा 8 पेश की गई।

प्रभारी अधिकारी, राजस्व लेखा अनुभाग कलेक्ट्रेट, हनुमानगढ़ से फर्म से वसूली के सम्बन्ध में उक्त प्रकरण न्यायालय में दोनों पक्षकारों की विधिवत सुनवाई कर निर्णय हेतु रीडर अनुभाग, कलैक्ट्रट

Web Copy Not Official

हनुमानगढ़ को प्राप्त होने पर पी.डी.आर. एक्ट 1952 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। दोनों पक्षों को नोटिस जारी किये गये। दोनों पक्षों के नोटिस उपरान्त प्रार्थी पक्ष से अधिशाषी अभियन्ता, गंगनहर ओ. एफ.डी., खण्ड–6 सिंचित क्षेत्र विकास, सूरतगढ स्वयं एवं अप्रार्थी जरिये अधिवक्ता श्री मोहन मुंजाल उपस्थित हुए।

प्रार्थी अधिशाषी अभियन्ता ने अपने जवाब प्रार्थना क्रमांक 1169 दिनांक 06.01.2021 में कथन किया कि खण्ड कार्यालय के द्वारा पक्का खाला निर्माण कार्य चक 1 एनएचआर–ए की निविदा संख्या 5 वर्ष 2005–06 आमन्त्रित की गयी जिनमें न्यूनत्तम दरदाता अप्रार्थी फर्म मैसर्स ज्योति इन्टरप्राइजेज हनुमानगढ़ थी जिसे कार्यालय के पत्रांक 1291–1301 दिनांक 06.03.2006 के द्वारा संवेदक को कार्यादेश दिया गया। इस हेतु अनुबन्ध सं. 30 वर्ष 2005–06 फर्म एवं विभाग के मध्य निष्पादित किया जो 9.99 प्रतिशत अबोव बी.एस.आर. किया गया। अनुबन्ध के अनुसार कार्य प्रारम्भ करने की तिथि 16. 03.2006 तथा कार्य पूर्ण करने की तिथि 15.12.2006 थी। कार्यादेश के अनुसार कार्य की कुल लागत 2607551 रूपये थी, जिसके विरूद्ध फर्म द्वारा 15,76,855 रूपये का कार्य करने के पश्चात कार्य को अधुरा छोड़ दिया गया, तमाम प्रयासों के पश्चात भी फर्म द्वारा कार्य प्रारम्भ नहीं करने के फलस्वरूप अनुबन्ध की धारा 2&3 IV(C) के तहत कार्यवाही करते हुए कार्य फर्म की (रिस्क एण्ड कॉस्ट) पर पत्रांक 935–39 दिनांक 11.09.2009 से अनुबन्ध लुप्त (Rescind) किया गया। इसके पश्चात पुनः निविदा सं. 02 वर्ष 2009–10 आमन्त्रित कर फर्म की (रिस्क एण्ड कॉस्ट) पर शेष कार्य (Balance work) को पूर्ण करवा दिया गया। राजस्थान लोक अभियाचन 1952 की धारा 8 के अन्तर्गत अप्रार्थी द्वारा सलंग्न प्रार्थना पत्र में बकाया रकम से इनकार करते हुए विभाग द्वारा सीमेंट की सप्लाई निर्धारित समयावधि में नहीं दिये जाने के कारण कार्य में देरी को वर्णित किया है। इस सम्बन्ध में निवेदन है कि संवेदक को सीमेंट अनुबन्ध अवधि में उपलब्ध करवा दिया था, साक्ष्य हेतु नोटिस संलग्न किये है। सहायक अभियन्ता एस.एन.आई.पी. उपखण्ड–6 सिंक्षेवि. इगांनप., नोहर द्वारा नोटिस क्रमांक 92/27.09.2006, 672/21.03.2007, 483/19.03.2007, 29/16.04.2007, 84/02.05.2007, 1530–31/09.05.2007 आदि व 1672–74/04.09.2008, 2499–2500/25.11.2008 व 136–37 दिनांक 24.04.2009 इत्यादि जारी किये गये। विभाग के पास सीमेंट उपलब्ध था इस हेतु बिन्दु संख्या 3 में वर्णित नोटिस कार्य पूर्ण करने हेतु ठेकेदार को जारी किये गये परन्तु ठेकेदार ने कार्य पूर्ण नहीं किया। उक्त वर्णित विभागीय नोटिसों के प्रतिउत्तर में दिनांक 28.01.2009 को यह वर्णित किया कि 2008 में उनके पिता की लम्बी बीमारी के कारण स्वर्गवास हो गया इसलिए कार्य पुनः प्रारम्भ नहीं हो सका और शास्ति नहीं लगाये जाने की शर्त पर कार्य शुरू करने का प्रस्ताव रखा जो की अनुबन्ध के विपरित था। जवाब नोटिस प्रस्तुत कर राजकीय राशि की वसूली ठेकेदार फर्म से करने का निवेदन किया है।

अप्रार्थी द्वारा नोटिस अन्तर्गत धारा 6 दिनांक 03.09.2020 के जवाब में याचिका अन्तर्गत धारा 8 राजस्थान पब्लिक डिमाण्ड रिकवरी एक्ट 1952 के तहत दिनांक 23.11.2020 को प्रस्तुत की गई जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिशाषी अभियन्ता गंगनहर ओ.एफ.डी. खण्ड–6 सिचिंत क्षेत्र विकास सूरतगढ द्वारा श्रीमान् जी के समक्ष राजस्थान लोक अभियाचन अधिनियम 1952, जिसे एतद् पश्चात अधिनियम वर्णित किया गया है, की धारा 4 के तहत एक प्रमाण पत्र दर्ज किया गया है, जिस पर श्रीमान् जी द्वारा प्रार्थी को नोटिस अन्तर्गत धारा 6 जारी किया गया है। प्रार्थी, अधिशाषी अभियन्ता गंगनहर ओ.एफ.डी. खण्ड–6 सिचिंत क्षेत्र विकास सूरतगढ द्वारा जारी वसूली प्रमाण पत्र के दायित्व से पूर्णतः इनकार करता है। प्रार्थी की ओर से दायित्व इनकारी से सम्बंधित आधार निम्नानुसार है :–

(क)कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सि.क्ष.वि., एस.एन.आई.पी. खण्ड द्वितीय इगानप, साहवा जिला चूरू, जिसे एतद्पश्चात विभाग वर्णित किया गया है, द्वारा प्रार्थी को एक कार्यादेश क्रमांक चक 1 एन.एच. आर. 'ए'/1291–1301 दिनांक 06.03.2006 जारी किया गया, जिसके अनुसार कार्य पूर्ण करने की अवधि 9 माह, जो कार्यादेश जारी करने के 10 दिन पश्चात चालू होगी, थी अर्थात प्रार्थी को कार्य चालू करने की प्रभावी तिथि 16.03.2006 थी और जो कार्य 9 माह में समाप्त किया जाना वांछित था। उक्त वर्णित कार्यादेश के सम्बन्ध में पक्षकारान के मध्य निष्पादित अनुबन्ध, एक व्यतिकारी अनुबन्ध (Reciprocal Contract) है। प्रार्थी व विभाग के मध्य निष्पादित अनुबन्ध की पूर्ण पालना हेतु विभाग पर सीमेन्ट उपलब्ध करवाना प्राथमिक शर्त रही है। प्रार्थी व विभाग के मध्य निष्पादित अनुबन्ध की पालना में किस पक्ष द्वारा 'भंग' (Breach) किया गया है, प्रथमतः तय किया जाना वांछित था। चूंकि अधिशाषी अभियन्ता विभाग उक्त वर्णित अनुबन्ध का एक पक्ष है, इसलिए 'भंग' (Breach) तय करने हेतु अधिशाषी अभियन्ता सक्षम प्राधिकारी नहीं है। विभाग को प्रार्थी के विरूद्ध भंग (Breach) तय कर

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़

क्षतिपूर्ति की राशि का निर्धारण अनुबन्ध के क्लॉज 23 के अनुक्रम में सक्षम प्राधिकारी या न्यायालय से करवाना वांछित है तथा तद्नुसार ही विभाग प्रार्थी के विरूद्ध प्रार्थी के विरूद्ध वसूली प्रमाण पत्र जारी कर सकता है। विभाग द्वारा जारी किया गया वसूली प्रमाण पत्र पूर्णतः गलत व विधिविरूद्ध है तथा अनवानी प्रकरण निरस्तनीय है। अवलोकनार्थ निम्न न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत है :–1. 1984 Arb.LR – 237, 2. 1992 WLN (UC) – 195, 3. DB Civil Writ Petiton No. 3830/1993 Date of Order 18.09.206

(ख) उक्त कार्यादेश में वर्णित कार्य के लिए सीमेन्ट की आपूर्ति विभाग द्वारा की जानी थी। प्रार्थी ने नियत समयावधि में अर्थात दिनांक 16.03.2006 तक कार्यादेश में वर्णित कार्य शुरू करने हेतु साईट पर श्रमिकों सहित समस्त संसाधन एकत्रित कर लिये, लेकिन विभाग द्वारा बावजूद निवेदन सीमेन्ट की आपूर्ति नहीं की गई, जिससे प्रार्थी द्वारा एकत्रित किये गये संसाधन व्यर्थ हो गये तथा प्रार्थी को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा।

(ग) विभाग द्वारा कार्यस्थल पर अपने पत्र क्रमांक 92 दिनांक 27.09.2006 के जरिये अर्थात 6 माह 11 दिवस के पश्चात प्रथम बार सीमेन्ट आपूर्ति होने की सूचना दी गई। विभाग द्वारा सीमेन्ट की आपूर्ति में काफी देरी होने से कार्य पूर्ण करने हेतु वांछित संसाधनों की कीमतों में असाधारण वृद्धि हो गई। प्रार्थी ने संसाधनों की कीमतों में असाधारण वृद्धि के अनुक्रम में कार्यादेश राशि में Escalation देने की गुजारिश की। तत्समय विभाग के उच्चाधिकारियों ने सीमेन्ट उपलब्धता में हुई देरी को स्वीकार किया तथा प्रार्थी को राज्य की स्वीकृति के पश्चात कार्यादेश राशि में Escalation देने का आश्वासन दिया। माह सितम्बर के अन्तिम सप्ताह में कार्यस्थल पर काश्तकारान की फसल पककर तैयार खड़ी थी, जिससे मौका पर सम्बंधित काश्तकारान ने फसल कटाई से पूर्व कायादेश के अनुक्रम में कार्य करवाने से इनकार कर दिया। प्रार्थी ने विभाग को सूचित किया, विभागीय कर्मचारीगण व प्रार्थी ने सम्बंधित काश्तकारान की समझाईश की और प्रार्थी द्वारा सम्बंधित काश्तकार की फसल सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त श्रमिकों की व्यवस्था कर उच्चाधिकारियों से वार्ता करते हुए कार्यादेश के अनुक्रम में कार्य चालू किया गया तथा विभाग द्वारा सीमेन्ट उपलब्ध करवाने के एक माह के अन्दर 19 प्रतिशत कार्य एवं इसी क्रम में दिनांक 22.01.2007 तक अतिरिक्त 17 प्रतिशत व अगले 12 दिवस से अतिरिक्त 9 प्रतिशत कार्य पूर्ण कर दिया गया अर्थात प्रार्थी ने विभाग द्वारा सीमेन्ट उपलब्ध करवाने के पश्चात करीब 4 माह में 45 प्रतिशत कार्य पूर्ण कर दिया।

(घ) विभाग के पास माह जनवरी 2007 के पश्चात सीमेन्ट खत्म हो गया तथा प्रार्थी को मजबूरन कार्य बन्द करना पड़ा। प्रार्थी के पुरजोर निवेदन के बावजूद विभाग द्वारा सीमेन्ट उपलब्ध नहीं करवाने पर प्रार्थी को कार्यस्थल से मशीनरी आदि हटानी पड़ी। प्रार्थी को कार्यस्थल पर इकट्ठी गई सामग्री यथा ईंट, बजरी आदि का पुनः नुकसान उठाना पड़ा। प्रार्थी को विभाग ने पत्र क्रमांक 483 दिनांक 19.03.2007 व पत्र क्रमांक 672 दिनांक 21.03.2007 के जरिये दिनांक 18.03.2007 से सीमेन्ट उपलब्धता की जानकारी दी गई। प्रार्थी ने कार्यस्थल पर पुनः संसाधन जुटाये और कार्य चालू किया गया। प्रार्थी ने सीमेन्ट उपलब्ध होने के पश्चात करीब 25 दिन में अतिरिक्त 13 प्रतिशत कार्य पूर्ण कर दिया, लेकिन इसके पश्चात विभाग के पास सीमेन्ट पुनः अनुपलब्ध हो गया और प्रार्थी को कार्य पुनः रोकना पड़ा।

(ङ) प्रार्थी द्वारा विभाग की ओर से सीमेन्ट उपलब्धता के आधार पर तत्परता से कार्य सम्पादन किया है। प्रार्थी को उक्त सम्पादित कार्य का विभाग द्वारा कार्यादेश राशि में Escalation दिये बिना आंशिक भुगतान किया है। प्रार्थी को जारी किया गये कार्यादेश की अवधि दिनांक 15.12.2006 को समाप्त हो चुकी थी। प्रार्थी ने तलब तकाजा कर कार्यादेश की अवधि विभाग द्वारा सीमेन्ट उपलब्धता में की गई देरी के मद्देनजर कार्यादेश राशि में Escalation दिया जाकर विस्तार करने का निवेदन किया, लेकिन विभाग द्वारा कार्यादेश की अवधि का विस्तार नहीं किया गया तथा न ही कार्यादेश राशि में Escalation दिया गया।

(च) विभाग ने प्रार्थी की सहमति के बिना अपने पत्रांक 65–69 दिनांक 27.08.2007 के जरिये 31.03.2008 एवं पत्रांक 162–65 दिनांक 31.03.2008 के जरिये 31.12.2008 तक कार्यादेश की समयावधि में विस्तार किया गया, जिसका ज्ञान प्रार्थी को विभागीय नोटिस की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने से हुआ हैं। प्रथमतः विभाग को प्रार्थी की सहमति के बिना कार्यादेश की अवधि का विस्तार करने की अधिकारिता नहीं थी, ताहम भी प्रार्थी ने समय समय पर समयावधि का विस्तार करने हेतु विभाग से लिखित निवेदन किया है, जिस पर भी विभाग ने उक्त वर्णित समयावधि का विस्तार करने की कोई जानकारी नहीं दी गई है। यहां पुनः यह भी उल्लेखनीय है कि विभाग ने उक्त समयावधि भी कार्योदश राशि में बिना Escalation के विस्तार किया है, जो विधिविरूद्ध है।

कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़

Web Copy - Not Official

(छ) पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री से सुस्पष्ट है कि कार्यादेश दिनांक 06.03.2006 के अनुक्रम में सीमेन्ट की समय पर आपूर्ति नहीं होने से नियत समयावधि में कार्य सम्पादन नहीं हो पाया है एवं सीमेन्ट आपूर्ति की जिम्मेंवारी विभाग की थी तथा विभाग की लापरवाही व देरी के लिए प्रार्थी को दायित्वाधीन नहीं ठहराया जा सकता है। इसके विपरित प्रार्थी कार्यादेश के अनुक्रम में सम्पादित किये गये कार्य बिलों की बकाया राशि एवं कुल कार्यादेश राशि में सीमेन्ट उपलब्धता की विभागीय देरी के फलस्वरूप Escalation राशि प्राप्त करने का अधिकारी है।

(ज) कार्यादेश दिनांक 06.03.2006 की अवधि 15.12.2006 को समाप्त हो चुकी है। प्रार्थी व विभाग में सहमति स्वरूप कार्यादेश की अवधि का विस्तार नहीं किया गया है। विभाग ने कार्यादेश की अवधि समाप्ति के 12 वर्ष पश्चात अधिनियम की धारा 4 के तहत कार्यवाही संस्थित की है, जो पोषणीय नहीं है। विभाग द्वारा अधिनियम की धारा 4 के तहत संस्थित कार्यवाही में सही व सत्य तथ्यों को छुपाया है। विभाग ने स्वयं की लापरवाही व दोष को छुपाते हुए कार्यवाही संस्थित की है।

अप्रार्थी द्वारा याचिका अन्तर्गत धारा 8 Rajasthan Public Demands Recovery Act 1952 प्रस्तुत कर अप्रार्थी की याचिका अन्दर मियाद शुमार कर अनवान सदर में वर्णित अधिनियम की धारा 6 के तहत जारी नोटिस की कार्यवाही अपास्त कर धारा 4 के तहत प्रमाण पत्र के अनुक्रम में वसूली निरस्त फरमाई जाने तथा प्रार्थी को कार्यादेश दिनांक 06.03.2006 के अनुक्रम में सम्पादित किये गये कार्य बिलों की बकाया राशि एवं कुल कार्यादेश राशि में सीमेन्ट उपलब्धता की विभागीय देरी के फलस्वरूप Escalation राशि दिलवाये जाने का निवेदन किया है।

प्रार्थी अधिशाषी अभियन्ता ने अप्रार्थी संवेदक फर्म के उक्त प्रासंगिक याचिका के सम्बन्ध में बिन्दुवार का जवाब क्रमांक 353 दिनांक 10.08.2021 में कथन किया कि–(क) अनुबन्ध को लुप्त करने के सम्बन्ध में संवेदक फर्म द्वारा अनुबन्ध की क्लॉज 23 का उल्लेख करते हुये क्षतिपूर्ति राशि का निर्धारण सक्षम प्राधिकारी या न्यायालय द्वारा करवाना उचित बताया है जबकि अनुबन्ध की क्लॉज 23 में यह स्पष्टता वर्णित है कि संवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र मय शुल्क जो कि विवादित राशि का 2 प्रतिशत (1 लाख से अधिक नहीं) प्रस्तुत करने पर ही प्रकरण निपआन हेतु स्टैण्डिग कमेटी को अग्रेषित किया जायेगा। चूंकि संवदेक फर्म द्वारा इस सम्बन्ध में ना तो कभी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया और ना ही इस हेतु निर्धारित शुल्क जमा करवाई गई। अतः संवेदक फर्म का कथन निराधार है।

(ख) संवेदक फर्म ने विभाग द्वारा सीमेंट की सप्लाई निर्धारित समयावधि में नहीं दिये जाने के कारण कार्य में देरी होने को वर्णित किया है। संवेदक को सीमेंट अनुबन्ध अवधि में उपलब्ध करवा दिया था जिसके सम्बन्ध में संवेदक फर्म को विभाग द्वारा समय–समय पर नोटिस प्रेषित किये गये जिनका विवरण निम्नानुसार है–

क्र. सं.	विभाग का नाम	पत्र क्र.	दिनांक	वि. विवरण
01.	सहा. अभि. एस.एन.आई.पी. खण्ड–6 सिंक्षेवि. इगांन, नोहर	92	27.09.2006	सिमेंट उपलब्ध
02.	अधि. अभि. सिंक्षेवि. एस.एन.आई.पी. खण्ड–2, नोहर	672	21.03.2007	सिमेंट उपलब्ध
03.	सहा. अभि. एस.एन.आई.पी. खण्ड–6 सिंक्षेवि. इगांन, नोहर	483	19.03.2007	सिमेंट उपलब्ध
04.	सहा. अभि. एस.एन.आई.पी. खण्ड–6 सिंक्षेवि. इगांन, नोहर	29	16.04.2007	सिमेंट उपलब्ध
05.	सहा. अभि. एस.एन.आई.पी. खण्ड–6 सिंक्षेवि. इगांन, नोहर	84	02.05.2007	कार्य प्रारम्भ नहीं
06.	अधि. अभि. सिंक्षेवि. एस.एन.आई.पी. खण्ड–2, नोहर	1530–31	09.05.2007	सिमेंट उपलब्ध
7.	अधि. अभि. सिंक्षेवि. एस.एन.आई.पी. खण्ड–2, नोहर	1781–82	26.06.2007	सिमेंट उपलब्ध
8.	सहा. अभि. एस.एन.आई.पी. खण्ड–6 सिंक्षेवि. इगांन, नोहर	169	22.06.2007	कार्य प्रारम्भ नहीं
9.	सहा. अभि. एस.एन.आई.पी. खण्ड–6 सिंक्षेवि. इगांन, नोहर	325	15.09.2007	कार्य प्रारम्भ नहीं
10.	अधि. अभि. सिंक्षेवि. एस.एन.आई.पी. खण्ड–2, नोहर	2976–77	05.10.2007	सिमेंट उपलब्ध
11.	अधि. अभि. सिंक्षेवि. एस.एन.आई.पी. खण्ड–2, नोहर	3192–93	26.10.2007	सिमेंट उपलब्ध

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़
सत्यमेव जयते
eCopy - Not Official

12.	सहा. अभि. एस.एन.आई.पी. खण्ड–6 सिंक्षेवि. इगांन, नोहर	431	16.11.2007	कार्य प्रारम्भ नहीं
13.	अधि. अभि. सिंक्षेवि. एस.एन.आई.पी. खण्ड–2, नोहर	3437–38	17.11.2007	कार्य प्रारम्भ नहीं
14.	अधि. अभि. सिंक्षेवि. एस.एन.आई.पी. खण्ड–2, नोहर	1672–74	04.09.2008	कार्य प्रारम्भ नहीं
15.	अधि. अभि. सिंक्षेवि. एस.एन.आई.पी. खण्ड–2, नोहर	2499–2500	25.11.2008	कार्य प्रारम्भ नहीं
16.	अधि. अभि. सिंक्षेवि. एस.एन.आई.पी. खण्ड–2, नोहर	136–37	24.04.2009	कार्य प्रारम्भ नहीं, विभाग द्वारा अन्तिम नोटिस

(ग) संवेदक फर्म ने लिखा कि विभाग द्वारा सीमेंट की आपूर्ति में देरी होने से संसाधनों कीमतों में वृद्धि का उल्लेख करते हुए कार्यादेश राशि में Escalation देने की गुजारिश की एवं विभाग के उच्चाधिकारियों द्वारा सीमेंट उपलब्धता में हुई देरी को स्वीकार करते हुये कार्यादेश राशि में Escalation देने का आश्वासन दिया गया। संवेदक का यह कथन मिथ्या है क्योंकि इस सम्बन्ध में संवेदक द्वारा ना तो कोई प्रार्थना पत्र विभाग में प्रस्तुत किया गया एवं ना ही कार्यादेश राशि में Escalation का कोई आश्वासन विभाग के उच्चाधिकारियों द्वारा दिया गया। अनुबन्ध की धारा 45 में स्पष्टतया वर्णित है कि कार्यादेश की राशि रू. 100 लाख से अधिक होने एवं कार्य की निर्धारित पूर्णता अवधि 12 माह से अधिक होने पर ही Price Escalation से सम्बन्धित प्रकरण विचार किये जाने योग्य होंगे। अतः Price Escalation के सम्बन्ध में संवेदक फर्म का कथन निराधार है। (घ) बिन्दु संख्या (ख) के अनुसार, (ड़) बिन्दु संख्या (ग) के अनुसार, (च) कार्यादेश की समयावधि में किये गये विस्तार की जानकारी संवेदक फर्म को उपलब्ध करवाई गई थी।(छ) बिन्दु संख्या (ख) एवं (ग) के अनुसार (ज) संवेदक फर्म को क्षतिपूर्ति राशि विभाग में जमा करवाने हेतु निरन्तर नोटिस भेजे गये परन्तु फर्म द्वारा इस सम्बन्ध में कभी कोई रूचि नहीं दिखाई एवं ना ही किसी प्रकार का पत्राचार विभाग से किया गया। अब उक्त फर्म के विरूद्ध नोटिस अन्तर्गत धारा 6 राज. लोक. अभियाचन अधि. जारी किया गया है तो फर्म द्वारा मनगढंत एवं निराधार तथ्यों द्वारा वसूली राशि से बचने हेतु प्रयास किये जा रहें है। (झ) विभाग द्वारा कार्यवाही में तथ्यों को पूर्ण पारदर्शिता के साथ रखा गया है, संवेदक फर्म द्वारा विभाग पर लापरवाही एवं दोष छुपाने का आरोप क्षतिपूर्ति राशि के भुगतान से बचने का एक प्रयास मात्र है।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। प्रार्थी अधिशाषी अभियन्ता ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि खण्ड कार्यालय के द्वारा चक 1 एनएचआर–ए के पक्का खाला निर्माण कार्य को अप्रार्थी फर्म मैसर्स ज्योति इन्टरप्राइजेज हनुमानगढ़ को कार्यालय के पत्रांक 1291–1301 दिनांक 06.03. 2006 के द्वारा कार्यादेश दिया गया। इस हेतु अनुबन्ध सं. 30 वर्ष 2005–06 फर्म एवं विभाग के मध्य निष्पादित किया गया। अनुबन्ध के अनुसार कार्य प्रारम्भ करने की तिथि 16.03.2006 तथा कार्य पूर्ण करने की तिथि 15.12.2006 थी। कार्यादेश के अनुसार कार्य की कुल लागत 2607551 रूपये थी, जिसके विरूद्ध फर्म द्वारा 15,76,855 रूपये का कार्य करने के पश्चात कार्य को अधुरा छोड़ दिया गया, तमाम प्रयासों के पश्चात भी फर्म द्वारा कार्य प्रारम्भ नहीं करने के फलस्वरूप अनुबन्ध की धारा 2&3 IV(C) के तहत कार्यवाही करते हुए कार्य फर्म की (रिस्क एण्ड कॉस्ट) पर पत्रांक 935–39 दिनांक 11. 09.2009 से अनुबन्ध लुप्त (Rescind) किया गया। इसके पश्चात पुनः निविदा सं. 02 वर्ष 2009–10 आमन्त्रित कर फर्म की (रिस्क एण्ड कॉस्ट) पर शेष कार्य (Balance work) को पूर्ण करवा दिया गया। राजस्थान लोक अभियाचन 1952 की धारा 8 के अन्तर्गत अप्रार्थी द्वारा सलंग्न प्रार्थना पत्र में बकाया रकम से इनकार करते हुए विभाग द्वारा सीमेंट की सप्लाई निर्धारित समयावधि में नहीं दिये जाने के कारण कार्य में देरी को वर्णित किया है। इस सम्बन्ध में निवेदन है कि संवेदक को सीमेंट अनुबन्ध अवधि में उपलब्ध करवा दिया था, साक्ष्य हेतु नोटिस संलग्न किये है। सहायक अभियन्ता एस.एन.आई. पी. उपखण्ड–6 सिंक्षेवि. इगांनप., नोहर द्वारा नोटिस क्रमांक 92/27.09.2006, 672/21.03.2007, 483/19.03.2007, 29/16.04.2007, 84/02.05.2007, 1530–31/09.05.2007 आदि व 1672–74/04. 09.2008, 2499–2500/25.11.2008 व 136–37 दिनांक 24.04.2009 इत्यादि जारी किये गये। विभाग के पास सीमेंट उपलब्ध था इस हेतु बिन्दु संख्या 3 में वर्णित नोटिस कार्य पूर्ण करने हेतु ठेकेदार को जारी किये गये परन्तु ठेकेदार ने कार्य पूर्ण नहीं किया। उक्त वर्णित विभागीय नोटिसों के प्रतिउत्तर में दिनांक 28.01.2009 को यह वर्णित किया कि 2008 में उनके पिता की लम्बी बीमारी के कारण स्वर्गवास हो गया इसलिए कार्य पुनः प्रारम्भ नहीं हो सका और शास्ति नहीं लगाये जाने की शर्त पर कार्य शुरू

करने का प्रस्ताव रखा जो की अनुबन्ध के विपरित था। जवाब नोटिस प्रस्तुत कर राजकीय राशि की वसूली ठेकेदार फर्म से करने का निवेदन किया है।

अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा दौराने बहस संक्षिप्त लिखित बहस व न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि अधिशाषी अभियन्ता, गंगनहर ओ.एफ.डी. खण्ड–6 सिचिंत क्षेत्र विकास, सूरतगढ़ द्वारा श्रीमान् जी के समक्ष राजस्थान लोक अभियाचन अधिनियम 1952, जिसे एतद् पश्चात अधिनियम वर्णित किया गया है, की धारा 4 के तहत एक प्रमाण पत्र दर्ज किया गया है, जिस पर श्रीमान् जी द्वारा प्रार्थी को नोटिस अन्तर्गत धारा 6 जारी किया गया है। प्रार्थी ने अधिशाषी अभियन्ता गंगनहर ओ.एफ.डी. खण्ड–6 सिचिंत क्षेत्र विकास सूरतगढ द्वारा जारी वसूली प्रमाण पत्र के दायित्व से पूर्णतः इनकार करते हुए याचिका अन्तर्गत धारा 8 Rajasthan Public Demands Recovery Act 1952 प्रस्तुत की है। अधिशाषी अभियन्ता गंगनहर सूरतगढ की ओर से याचिका का जवाब दिनांक 20.10.2021 को प्रस्तुत किया गया, जिसमें प्रार्थी की याचिका में वर्णित आधारों का कोई विशिष्ट जवाब नहीं दिया गया व सीमेन्ट उपलब्धता व निर्धारित समयावधि में फर्म द्वारा कार्य पूर्ण नहीं करने के संदिग्ध अभिवचन दर्ज किये है। प्रार्थी की ओर से याचिका व जवाब के अनुक्रम में लिखित बहस निम्नानुसार है :–

विधिक आपत्ति (1) हस्तगत प्रकरण में प्रस्तुत कार्यादेश के सम्बंध में अनुबन्ध में अधिशाषी अभियन्ता व प्रार्थी पक्षकार है। अधिशाषी अभियन्ता सि0क्ष0वि0, एस.एन.आई.पी. खण्ड द्वितीय इगानप, साहवा जिला चूरू, जिसे एतद्पश्चात विभाग वर्णित किया गया है, द्वारा प्रार्थी को एक कार्यादेश क्रमांक चक 1 एन.एच.आर.'ए' / 1291–1301 दिनांक 06.03.2006 जारी किया गया, जिसके अनुसार कार्य पूर्ण करने की अवधि 9 माह, जो कार्यादेश जारी करने के 10 दिन पश्चात चालू होगी, थी अर्थात प्रार्थी को कार्य चालू करने की प्रभावी तिथि 16.03.2006 थी और जो कार्य 9 माह में समाप्त किया जाना वांछित था। उक्त वर्णित कार्यादेश के सम्बंध में पक्षकारान के मध्य निष्पादित अनुबन्ध, एक व्यतिकारी अनुबन्ध (Reciprocal Contract) है। प्रार्थी व विभाग के मध्य निष्पादित अनुबन्ध की पूर्ण पालना हेतु विभाग पर सीमेन्ट उपलब्ध करवाना प्राथमिक शर्त रही है। प्रार्थी व विभाग के मध्य निष्पादित अनुबन्ध की पालना में किस पक्ष द्वारा 'भंग' (Breach) किया गया है, प्रथमतः तय किया जाना वांछित था। चूंकि अधिशाषी अभियन्ता विभाग उक्त वर्णित अनुबन्ध का एक पक्ष है, इसलिए 'भंग' (Breach) तय करने हेतु अधिशाषी अभियन्ता सक्षम प्राधिकारी नहीं है। कोई व्यक्ति स्वयं के मामलों में स्वयं निर्णायक जज नहीं हो सकता व विपक्षी पक्षकार को सुनवाई का अवसर दिये बिना निर्णय पारित नहीं किया जा सकता, यह प्राकृतिक न्याय के विरूद्ध है। हस्तगत प्रकरण में अधिशाषी अभियन्ता विभाग ने प्रार्थी को सुनवाई का अवसर दिये बिना स्वयं विभाग ने निर्णय कर चुनौतीधीन वसूली प्रमाण पत्र जारी किया है। विभाग को प्रार्थी के विरूद्ध भंग (Breach) तय कर क्षतिपूर्ति की राशि का निर्धारण अनुबन्ध के क्लॉज 23 के अनुक्रम में सक्षम प्राधिकारी या न्यायालय से करवाना वांछित है तथा तदनुसार ही विभाग प्रार्थी के विरूद्ध प्रार्थी के विरूद्ध वसूली प्रमाण पत्र जारी कर सकता है। विभाग द्वारा जारी किया गया वसूली प्रमाण पत्र पूर्णतः गलत व विधिविरूद्ध है अवलोकनार्थ निम्न न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत है:–1. 1992 WLN (UC) – 195, 2. 1984 Arb.LR – 237, 3. DB Civil Writ Petiton No. 3830/1993 Date of Order 18.09.2006

उक्त न्यायिक दृष्टांतों में उच्च न्यायालय ने अवधारित किया है कि –The petitioner was guilty of committing breach of Agreement or not, has necessarity to adjudicated not by party to the agreement but by and independent person, may it be a court or other. That exercise can be done by only a court.

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़ सत्यमेव जयते

Copy - Not Official

तथ्यात्मक व तदनुसार विधिक आपत्ति– (1) उक्त कार्यादेश में वर्णित कार्य के लिए सीमेन्ट की आपूर्ति विभाग द्वारा की जानी थी। प्रार्थी ने नियत समयावधि में अर्थात दिनांक 16.03.2006 तक कार्यादेश में वर्णित कार्य शुरू करने हेतु साईट पर श्रमिकों सहित समस्त संसाधन एकत्रित कर लिये, लेकिन विभाग द्वारा बावजूद निवेदन सीमेन्ट की आपूर्ति नहीं की गई। विभाग द्वारा कार्यस्थल पर प्रथम बार अपने पत्र क्रमांक 92 दिनांक 27.09.2006 के जरिये अर्थात 6 माह 11 दिवस के पश्चात प्रथम बार सीमेन्ट आपूर्ति होने की सूचना दी गई, जो तथ्य विभाग द्वारा प्रकरण में अपने पत्रांक 363 दिनांक 10.08.2021 में स्वीकार किया है। यहां यह उल्लेखनीय है कि कार्यादेश दिनांक 06.03.2006 के 10 दिन पश्चात कार्यावधि चालू होनी थी अर्थात प्रार्थी को कार्य चालू करने की प्रभावी तिथि 16.03.2006 थी और जो कार्य 9 माह में समाप्त किया जाना वांछित था अर्थात विभाग द्वारा कार्य समाप्ति के मात्र 2 माह 20 दिन पूर्व प्रथम बार सीमेन्ट की उपलब्धता होना बताया है। विभाग द्वारा सीमेन्ट उपलब्धता इतनी देरी से अर्थात कार्य समाप्ति तिथि से मात्र 2 माह 20 दिन पूर्व सीमेन्ट उपलब्धता के सम्बंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। विभाग के पास माह जनवरी के प्रथम सप्ताह में सीमेन्ट खत्म हो गया

व प्रार्थी को कार्य बन्द करना पड़ा। विभाग द्वारा पुनः सीमेन्ट उपलब्धता की सूचना अनुबन्ध के अनुसार कार्य समाप्ति अवधि के पश्चात जरिये नोटिस दिनांक 21.03.2007 दी गई। विभाग द्वारा कार्यादेश व अनुबन्ध की पालना में विभाग पर अधिरोपित उत्तरदायित्व की पालना अनुबन्ध की निर्धारित अवधि में नहीं की है।

(2) विभाग द्वारा सीमेन्ट की आपूर्ति में काफी देरी होने से कार्य पूर्ण करने हेतु वांछित संसाधनों की कीमतों में असाधारण वृद्धि हो गई। प्रार्थी ने संसाधनों की कीमतों में असाधारण वृद्धि के अनुक्रम में कार्यादेश राशि में Escalation देने की गुजारिश की। तत्समय विभाग के उच्चाधिकारियों ने सीमेन्ट उपलब्धता में हुई देरी को स्वीकार किया तथा प्रार्थी को राज्य की स्वीकृति के पश्चात कार्यादेश राशि में Escalation देने का आश्वासन दिया। माह सितम्बर 2006 के अन्तिम सप्ताह में कार्यस्थल पर काश्तकारान की फसल पककर तैयार खड़ी थी, जिससे मौका पर सम्बंधित काश्तकारान ने फसल कटाई से पूर्व कायादेश के अनुक्रम में कार्य करवाने से इनकार कर दिया। प्रार्थी ने विभाग को सूचित किया, विभागीय कर्मचारीगण व प्रार्थी ने सम्बंधित काश्तकारान की समझाईश की और प्रार्थी द्वारा सम्बंधित काश्तकार की फसल सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त श्रमिकों की व्यवस्था कर उच्चाधिकारियों से वार्ता करते हुए कार्यादेश के अनुक्रम में कार्य चालू किया गया तथा विभाग द्वारा सीमेन्ट उपलब्ध करवाने के एक माह के अन्दर 19 प्रतिशत कार्य एवं इसी क्रम में दिनांक 22.01.2007 तक अतिरिक्त 17 प्रतिशत व अगले 12 दिवस से अतिरिक्त 9 प्रतिशत कार्य पूर्ण कर दिया गया अर्थात प्रार्थी ने विभाग द्वारा सीमेन्ट उपलब्ध करवाने के पश्चात करीब 4 माह में 45 प्रतिशत कार्य पूर्ण कर दिया।

(3) विभाग के पास माह जनवरी 2007 के पश्चात सीमेन्ट खत्म हो गया तथा प्रार्थी को मजबूरन कार्य बन्द करना पड़ा। प्रार्थी के पुरजोर निवेदन के बावजूद विभाग द्वारा सीमेन्ट उपलब्ध नहीं करवाने पर प्रार्थी को कार्यस्थल से मशीनरी आदि हटानी पड़ी। प्रार्थी को कार्यस्थल पर इकट्ठी गई सामग्री यथा ईंट, बजरी आदि का पुनः नुकसान उठान पड़ा। प्रार्थी को विभाग ने पत्र क्रमांक 483 दिनांक 19.03.2007 व पत्र क्रमांक 672 दिनांक 21.03.2007 के जरिये दिनांक 18.03.2007 से सीमेन्ट उपलब्धता की जानकारी दी गई। प्रार्थी ने कार्यस्थल पर पुनः संसाधन जुटाये और कार्य चालू किया गया। प्रार्थी ने सीमेन्ट उपलब्ध होने के पश्चात करीब 25 दिन में अतिरिक्त 13 प्रतिशत कार्य पूर्ण कर दिया, लेकिन इसके पश्चात विभाग के पास सीमेन्ट पुनः अनुपलब्ध हो गया और प्रार्थी को कार्य पुनः रोकना पड़ा।

(4) विभाग ने प्रार्थी की सहमति के बिना अपने पत्रांक 65–69 दिनांक 27.08.2007 के जरिये 31.03.2008 एवं पत्रांक 162–65 दिनांक 31.03.2008 के जरिये 31.12.2008 तक कार्यादेश की समयावधि में विस्तार किया गया, जिसका ज्ञान प्रार्थी को विभागीय नोटिस की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने से हुआ हैं। प्रथमतः विभाग को कार्यादेश दिनांक 06.03.2006 की कार्यावधि दिनांक 15.12.2006 के पश्चात विस्तार करने की अधिकारिता नहीं थी, ताहम भी प्रार्थी ने समयावधि का विस्तार करने हेतु प्रार्थी की सहमति नहीं ली है तथा न ही विभाग ने उक्त वर्णित समयावधि का विस्तार करने की कोई जानकारी नहीं दी गई है। विभाग द्वारा कार्यादेश की समयावधि विस्तार विधिविरूद्ध है। इस सम्बंध में निम्न न्यायिक दृष्टांत अवलोकनार्थ प्रस्तुत है–AIR 1986 Karnataka – 14

इसी क्रम में यहां पुनः यह भी उल्लेखनीय है कि विभाग ने उक्त समयावधि भी कार्यादेश राशि में बिना Escalation के विस्तार किया है, जो विधिविरूद्ध है। विभाग ने क्लॉज 45 का उल्लेख करते हुए कथन किया है कि Escalation 100 लाख के कार्य से अधिक होने पर ही Escalation दिया जा सकता है, इस सम्बंध में निवेदन है कि **पक्षकारान के मध्य निष्पादित अनुबन्ध, एक व्यतिकारी अनुबन्ध (Reciprocal Contract) है तथा इस व्यतिकारी अनुबन्ध में प्रथम दायित्व अर्थात सीमेन्ट आपूर्ति की जिम्मेंदारी विभाग की है तथा सीमेन्ट आपूर्ति के बिना प्रार्थी किसी कार्य नहीं कर सकता था। जहां प्रथम दायित्व का पक्षकार अनुबन्ध का भंग करता है वहां कार्यकारी पक्षकार देरी के किसी कदर दायित्वाधीन नहीं होता तथा ऐसे किसी अनुबन्ध को असीमित अवधि के लिए जीवित नहीं रखा जा सकता।** ऐसे व्यतिकारी अनुबन्ध में क्लॉज 45 लागू नहीं है।

(5) प्रार्थी द्वारा विभाग की ओर से सीमेन्ट उपलब्धता के आधार पर तत्परता से कार्य सम्पादन किया है। प्रार्थी को उक्त सम्पादित कार्य का विभाग द्वारा कार्यादेश राशि में Escalation दिये बिना आंशिक भुगतान किया है। प्रार्थी को जारी किया गये कार्यादेश की अवधि दिनांक 15.12.2006 को समाप्त हो चुकी थी। प्रार्थी ने तलब तकाजा कर कार्यादेश की अवधि विभाग द्वारा सीमेन्ट उपलब्धता में

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़

Web Copy Not Official

की गई देरी के मद्देनजर कार्यादेश राशि में Escalation दिया जाकर विस्तार करने का निवेदन किया, लेकिन विभाग द्वारा कार्यादेश की अवधि का विस्तार नहीं किया गया तथा न ही कार्यादेश राशि में Escalation दिया गया।

(6) कार्यादेश दिनांक 06.03.2006 की अवधि 15.12.2006 को समाप्त हो चुकी है। प्रार्थी व विभाग में सहमति स्वरूप कार्यादेश की अवधि का विस्तार नहीं किया गया है। विभाग ने कार्यादेश की अवधि समाप्ति के 12 वर्ष पश्चात अधिनियम की धारा 4 के तहत कार्यवाही संस्थित की है, जो पोषणीय नहीं है।

अतः लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन है कि याचिका अन्तर्गत धारा 8 Rajasthan Public Demands Recovery Act 1952 अन्दर मियाद शुमार कर अनवान सदर प्रकरण में वर्णित अधिनियम की धारा 6 के तहत जारी नोटिस की कार्यवाही अपास्त कर धारा 4 के तहत प्रमाण पत्र के अनुक्रम में वसूली निरस्त फरमाई जावे तथा प्रार्थी को कार्यादेश दिनांक 06.03.2006 के अनुक्रम में सम्पादित किये गये कार्य बिलों की बकाया राशि एवं कुल कार्यादेश राशि में सीमेन्ट उपलब्धता की विभागीय देरी के फलस्वरूप Escalation राशि दिलवाये जाने का आदेश फरमाया जावे।

प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों एवं अप्रार्थी द्वारा लिखित बहस एवं न्यायिक दृष्टान्त का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब के अनुसार संवेदक फर्म को क्षतिपूर्ति राशि विभाग ने जमा करवाने हेतु निरंतर नोटिस भेजे गये परन्तु फर्म द्वारा इस सम्बन्ध में फर्म द्वारा कोई रूचि नहीं ली गई और ना ही किसी प्रकार का कोई पत्राचार विभाग से किया गया जबकि माननीय न्यायालय द्वारा फर्म के विरूद्ध नोटिस अन्तर्गत धारा 6 राज. लोक. अभि. अधिनियम का जारी होने पर फर्म द्वारा मनगढंत एवं निराधार तथ्यों द्वारा वसूली राशि से बचने हेतु प्रयास किये जा रहे है। विभाग द्वारा कार्यवाही में तथ्यों को पूर्ण पारदर्शिता के साथ रखा गया है। संवेदक फर्म द्वारा विभाग पर लापरवाही एवं दोष छुपाने का आरोप क्षतिपूर्ति राशि से बचने का प्रयास मात्र है। वकील अप्रार्थी द्वारा लिखित बहस एवं न्यायिक दृष्टांत अनुसारः-

1. विभाग द्वारा एक कार्यादेश क्रमांक चक 1 एन.एच.आर.ए./11291-11301 दिनांक 06.03.2006 को जारी किया गया जिसके अनुसार कार्य पूर्ण करने की अवधि 9 माह, कार्य आदेश जारी करने की दिनांक से 10 दिन पश्चात होगी।
2. हस्तगत प्रकरण में अधिशाषी अभियन्ता द्वारा प्रार्थी को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही स्वयं विभाग ने निर्णय कर चुनौतीधीन वसूली प्रमाण पत्र जारी किया गया।

विधिक आपत्तियांः-

1. कार्यस्थल पर प्रथम बार विभाग द्वारा दिनांक 27.09.2006 को सिमेंट आपूर्ति होने की सूचना अप्रार्थी फर्म को दी गई।
2. विभाग द्वारा सीमेंट उपलब्ध करवाने के एक माह के अन्दर 19 प्रतिशत कार्य व दिनांक 22.01.2007 तक अतिरिक्त 17 प्रतिशत व अगले 12 दिवस में अतिरिक्त 9 प्रतिशत कार्य पूर्ण कर दिया गया अर्थात प्रार्थी ने विभाग द्वारा सीमेंट उपलब्ध करवाने के 4 माह में 45 प्रतिशत कार्य पूर्ण किया गया।
3. विभाग के पास जनवरी 2007 के पश्चात सीमेंट की आपूर्ति खत्म हो गई। प्रार्थी को मजबूरन कार्य बन्द करना पड़ा। दिनांक 19.03.2007 व 18.03.2007 व 21.03.2007 सीमेंट उपलब्धता की जानकारी विभाग द्वारा दी गई। प्रार्थी कार्यस्थल पर पुनः कार्य चालू किया गया। करीब 25 दिन में 13 प्रतिशत कार्य पूर्ण कर दिया गया। इसके पश्चात सीमेंट उपलब्ध नहीं होने के कारण कार्य बन्द करना पड़ा।
4. विभाग को कार्य आदेश दिनांक 06.03.2006 की कार्यवधि दिनांक 15.12.2006 के पश्चात विस्तार करने की अधिकारिता नहीं थी। ताहम प्रार्थी ने समय अवधि का विस्तार करने हेतु प्रार्थी की सहमति नहीं ली गई तथा विभाग ने उक्त वर्णित समय अवधि के विस्तार करने की जानकारी नहीं दी गई। विभाग द्वारा कार्य आदेश की समय अवधि विस्तार विधि विरूद्ध है।
5. प्रार्थी द्वारा विभाग के सीमेंट उपलब्धता के आधार पर तत्परता से कार्य संपादन किया। प्रार्थी को उक्त संपादित कार्य का विभाग द्वारा कार्य आदेश राशि में Escalation किये बिना आंशिक भुगतान किया है।

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़

6. कार्य आदेश की अवधि समाप्त हो चूकी है। प्रार्थी व विभाग में सहमतिस्वरूप कार्य आदेश की अवधि का विस्तार नहीं किया गया।

दोनों पक्षों के जवाब व लिखित बहस का अवलोकन एवं विवेचन करने पर पाया गया कि अधिशाषी अभियन्ता, गंगनहर ओ.एफ.डी., खण्ड–6 सिंचित क्षेत्र विकास, सूरतगढ़ द्वारा अनुबन्ध सं. 30 वर्ष 2005–06 के द्वारा पक्का खाला चक 1 एनएचआरए का कार्य फर्म मैसर्स ज्योति ईन्टरप्राईजेज वार्ड नं. 06 हनुमानगढ़ को आवंटित किया गया था। अनुबन्ध के अनुसार कार्य प्रारम्भ करने की तिथि 16.03.2006 तथा कार्य पूर्ण करने की तिथि 15.12.2006 थी। कार्य पूर्ण करने में अप्रार्थी फर्म द्वारा कार्य में देरी की गई। विभाग द्वारा सम्बन्धित फर्म को सीमेंट उपलब्धता के बारे में बार–बार सूचना दी गई। इसके पश्चात भी फर्म द्वारा कार्य पूर्ण नहीं करवाया गया। सम्बन्धित विभाग द्वारा फर्म को नोटिस सूचना के दिये गये जबकि विभाग द्वारा ही कार्य समाप्ति अवधि 15.12.2006 निर्धारित थी इसके बावजूद भी फर्म को नोटिस जारी किये गये जबकि कार्य अवधि समाप्ति दिनांक 15.12.2006 के पश्चात नोटिस दिया जाना चाहिए था। फर्म द्वारा कार्य नहीं करने पर जो कमेटी 2009 में बनायी गई वह कार्य अवधि समाप्ति के तुरन्त बाद बनाई जानी चाहिए थी। फिर भी फर्म का यह कथन कि फर्म को समय नहीं दिया गया। फर्म द्वारा अनुबन्ध अनुसार कार्य पूर्ण करने की दिनांक 15.12.2006 के बाद भी कार्य करना एवं फर्म द्वारा प्रार्थना पत्र 28.01.2009 प्रस्तुत कर कार्य प्रारम्भ करने हेतु विभाग से निवेदन करना फर्म की कार्य करने की मौन स्वीकृति साबित करती है। इससे सिद्ध होता है कि विभाग द्वारा फर्म को कार्य पूर्ण करने में काफी समय दिया गया तथा अन्तिम नोटिस में भी निर्देशित किया गया कि फर्म द्वारा कार्य नहीं करने पर एक कमेटी का गठन किया जावेगा। कमेटी का गठन और फर्म को कार्य स्थल पर उपस्थित रहने हेतु निर्देशित किया गया परन्तु फर्म द्वारा कोई रूचि नहीं ली गई। विभाग द्वारा गठित कमेटी की रिपोर्ट अनुसार फर्म द्वारा पक्का खाला 1 एन.एच. आर.ए. का आवंटित कार्य अधुरा छोड़ने पर अनुबन्ध की धारा 2&3 IV(C) के तहत कार्यवाही करते हुए कार्य फर्म की (रिस्क एण्ड कॉस्ट) पर दिनांक 11.09.2009 से अनुबन्ध लुप्त (Rescind) किया गया। इसके पश्चात फर्म की (रिस्क एण्ड कॉस्ट) पर शेष कार्य (Balance work) को पूर्ण करवाया गया। ऐसी दशा में अप्रार्थी द्वारा पेश याचिका अन्तर्गत धारा 8 Rajasthan Public Demands Recovery Act 1952 खारिज करने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी की याचिका अन्तर्गत धारा 8 पीडीआर एक्ट खारिज की जाती है और प्रार्थी द्वारा धारा 4 के अन्तर्गत जारी वसूली प्रमाण पत्र अनुसार बकाया रकम 2,96,009 रूपये अप्रार्थी फर्म मैसर्स ज्योति ईन्टर प्राईजेज से वसूल योग्य मांग होना प्रमाणित किया जाता है। इस अधिनियम की धारा 14(ए)(II) के अनुसार 13 प्रतिशत ब्याज एवं 10 प्रतिशत वसूली खर्चा भी वसूल किया जावे। अधीनस्थ कार्यालय का रिकॉर्ड मय आदेश की प्रति सहित पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 12.10.22 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़